



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22559-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 29228/2025

राहुल तिवारी @ अखिलेश कुमार त्रिपाठी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: साधना दुबे, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति

माननीय अचल सचदेव, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के कारण झूठा फंसाया गया है। उन्होंने आगे तर्क दिया है कि आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में याचिकाकर्ता को आरोपी के रूप में नामित तक नहीं किया गया है, फिर भी पुलिस उसे परेशान कर रही है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय का ध्यान इस न्यायालय द्वारा दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 27925/2025 में पारित आदेश दिनांक 04.12.2025 की ओर आकर्षित किया है, जिसमें नामित सह-अभियुक्त मधुसूदन सिंह की गिरफ्तारी पर इस न्यायालय द्वारा पहले ही रोक लगा दी गई है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता भी समान राहत का हकदार है।
4. मामला विचारणीय है।
5. विपक्षी संख्या 3 को नोटिस जारी करें जो चार सप्ताह के भीतर प्रतिदेय (रिटर्नबल) हो।
6. एक सप्ताह के भीतर आवश्यक कदम उठाए जाएं।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता भी उक्त अवधि के भीतर प्रति-शपथ पत्र (काउंटर एफिडेविट) दाखिल कर सकते हैं। प्रत्युत्तर शपथ पत्र, यदि कोई हो, उसके बाद एक सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा सकता है।
8. इसे दिनांक 13.03.2026 को दाण्डिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 27925/2025 के साथ सूचीबद्ध करें।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



9. तब तक, याचिकाकर्ता को थाना ओबरा, जिला सोनभद्र में मुकदमा अपराध संख्या 0264/2025, धारा 105 बी.एन.एस., 2023 के अंतर्गत उत्पन्न आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 16.11.2025 के अनुसरण में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

फरवरी 2, 2026

के.यू.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"